संख्याः 17M(4)/35–आ0–1/2009–12

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रेष्य,

समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0,
समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

राज्य योजना आयोग–1, नियोजन विभाग
योजना भवन।

लखनऊः दिनाँकः फरवरीः05, 2015

विषयः प्रदेश में आधार परियोजना का क्रियान्वयन।

महोदय,

प्रदेश में आधार परियोजना के क्रियान्वयन के क्रम में आधार नामांकन एजेंसियों का चयन प्रक्रियाधीन है। मण्डलायुक्त के माध्यम से चयनित एजेंसियों के कार्य प्रारम्भ करने तक यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा आबद्ध नॉनस्टेट रजिस्ट्रार की अनुबंधित नामांकन एजेंसियों की क्षमता का पूरा उपयोग किया जाये और आधार परियोजना के कार्य को और गति दी जाये। इस उद्देश्य से निम्नलिखित निर्देश दिये जा रहे हैं :–

1. नॉनस्टेट रजिस्ट्रार्स द्वारा अनुबंधित एन्रोलमेन्ट एजेंसियों के द्वारा आधार नामांकन कार्यक्रम एक निश्चित कार्ययोजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है। यू0आई0डी0ए0आई0 की अनुबंध शर्तों में यह प्राविधान है कि कार्य प्रारम्भ करने के पहले एनरोलमेन्ट एजेंसियां अपनी कार्ययोजना जिला प्रशासन को सूचनार्थ उपलब्ध करायेंगी। यदि जनपदों में आधार नामांकन केन्द्र निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो सम्बन्धित जिलाधिकारी इसकी सूचना नियोजन विभाग तथा यू0आई0डी0ए0आई0, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।
2. जिन आधार केन्द्रों से किसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनकी पूरी छानबीन करा ली जाये तथा शिकायत सही पाने पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाये।
3. आधार केन्द्रों में अधिक से अधिक नामांकन हो, इस हेतु जिला प्रशासन द्वारा विकास कार्यों में लगे स्टाफ का सहयोग प्राप्त किया जाये। पुलिसकर्मियों को इन केन्द्रों पर कानून–व्यवस्था की दृष्टि से ही तैनात किया जाये।
4. प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल, निजी व सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रधानाचार्य/विद्यालय प्रशासन से सम्पर्क कर विशेष कैम्प लगवाये जायें तथा 05 वर्ष से ऊपर आयु के सभी छात्र–छात्राओं का आधार नामांकन किया जाये। इस कार्य में जिला प्रशासन से नॉनस्टेट रजिस्ट्रार्स द्वारा मार्गनिर्देशन प्राप्त किया जा सकता है।

......2

5. जिला प्रशासन सार्वजनिक स्थलों यथा-विद्यालयों, पंचायत भवन व सामुदायिक केन्द्रों में आधार नामांकन केन्द्र लगाये जाने का प्रयास करें, जिससे अधिक संख्या में व पारदर्शी तरीके से नामांकन हो।
6. कई आधार नामांकन केन्द्रों से अवैध शुल्क लिये जाने की शिकायतें भी प्राप्त होती रहती हैं। ऐसी स्थिति में दोषियों को चिन्हित कर जिला प्रशासन आवश्यक कार्यवाही करें।

यह उल्लेखनीय है कि उक्त के सम्बन्ध में नॉनस्टेट रजिस्ट्रार्स को निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं :-

1. जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर नॉनस्टेट रजिस्ट्रार नामांकन का कार्य करें। साथ ही साथ नॉनस्टेट रजिस्ट्रार्स द्वारा नियमित रूप से नामांकन की कार्ययोजना जिलाधिकारियों को अवश्य उपलब्ध करायी जाये ताकि अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो।
2. अपरिहार्य परिस्थिति के बिना केन्द्र बन्द करने के आदेश न दिये जायें परन्तु आधार नामांकन कार्य में नॉनस्टेट रजिस्ट्रार्स जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखें तथा भविष्य की कार्ययोजना में उसे समाहित करें।
3. उन जिलों में कैम्प लगाने पर जोर दिया जाये जहां आधार नामांकन काफी कम रहा है। इसके लिए नामांकन केन्द्र व मशीनों की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाई जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

4/2/15

(डा0देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव

संख्या: 17M(4)/35-आ0-1/2009-12 तद्दिनांक ::

उक्त की प्रतिलिपि उप महानिदेशक, यू0आई0डी0ए0आई0, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आवश्यक कार्यवाही करें एवं अपने स्तर से समस्त नॉनस्टेट रजिस्ट्रार्स को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

4/2/15

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव